

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 10, नवम्बर, 2015

विषय:- जनपद फिरोजाबाद में शिकोहाबाद-मैनपुरी मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 4-5 के मध्य बाँयी पट्टी पर ग्राम कंथरी के खसरा संख्या-820, 821/1, 822/2 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0751 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/09/6/32/2015/एफसी/781 दिनांक 15-9-2015, का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से 17 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक-986/फिरोजाबाद-11454/यू0पी0-056/2015, दिनांक 03-11-2015 द्वारा संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 03-11-2015 द्वारा शासन को संशोधित प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के भाग-5 पर सक्षम अधिकारी की मुहर सहित मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

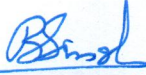
(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-पी 75(1)/14-2-2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- प्रभागीय प्रबन्धक, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, सेक्टर-3, नोएडा।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।